राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17062/2023

1. अक्षय कुमार वैष्णव पुत्र रामगोपाल वैष्णव, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम बरनी, पोस्ट अंटाली, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. अर्जुन पुरी पुत्र लादू पुरी, उम्र लगभग 34 वर्ष, ग्राम/पोस्ट खुडी पावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज.)।
3. राहुल पाटीदार पुत्र राजेंद्र पाटीदार, उम्र लगभग 26 वर्ष, ग्राम आँवली कल्लन, तहसील पाच पहाड़, जिला झालावाड़ (राज.)
4. सुरेश चंद लोहार पुत्र बजरंगलाल लोहार, उम्र लगभग 36 वर्ष, ग्राम कालेरा कृष्ण गोपाल, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर (राजस्थान)
5. पूजा पुत्री बैद्यनाथ, उम्र लगभग 28 वर्ष, ग्राम/पोस्ट कोहराणा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर (राज.)।
6. निकहत परवीन पुत्री सलीम मोहम्मद अंसारी, उम्र लगभग 30 साल, सरकार चिकित्सालय के पीछे, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज.)।
7. अरुण खोखर पुत्र नोपा राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, खोखारो का बास, सुद्रासन, डीडवाना, जिला नागौर (राज.)
8. अभिषेक शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, सी-7, मारुति नगर, रामगंज मण्डी, जिला कोटा (राज.)
9. राकेश कुमार पुत्र प्रेम नारायण, उम्र लगभग 35 वर्ष, ग्राम मोतीपुरा, चांदीपुर, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान).
10. मैना कुमारी मीना पुत्री जगदीश मीना, उम्र लगभग 32 वर्ष, काली घाटी, टोकर, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
11. अशोक जांगिड़ पुत्र अमर चंद, उम्र लगभग 33 वर्ष, ग्राम लाम्पोलाई, तहसील रियां बड़ी, जिला नागौर (राज.)।
12. शीला मीना पुत्री अमृत लाल मीना, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम/पोस्ट पाल गलंदर, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान).
13. दिनेश कुमार आमलिया पुत्र गटुलाल अमलिया, उम्र लगभग 30 साल, ग्राम रंगेला, पोस्ट गेजी, वाया विकास नगर, जिला डूंगरपुर (राजस्थान).
14. प्रतिभा मीना पुत्री चंदूलाल मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, नया तालाब, पोस्ट हथाई, जिला डूंगरपुर (राज.)।
15. सांवर मल शर्मा पुत्र लक्ष्मी लाल शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, ग्राम/पोस्ट धुवाला, तहसील मण्डल, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान).
16. रेखा कुमारी पुत्री रामचन्द्र, उम्र लगभग 34 वर्ष, ग्राम/पोस्ट पांच्या खेड़ी, श्रीछतरपुर, तह पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज.)।

17. उर्मिला ननोमा पुत्री चंद्रवीर ननोमा, उम्र लगभग 26 वर्ष, ग्राम झांझरी, पोस्ट जोरावरपुरा, तह सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)।

18. रामप्यारी माली पुत्री किशन लाल माली, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्राम माताजी का खेड़ा, पोस्ट जगपुरा, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

19. निशा खांट पुत्री मंगला खांट, उम्र लगभग 26 वर्ष, ग्राम/पोस्ट रति का फला, पीठ, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान).

20. सीमा सैनी पुत्री गणेश लाल, उम्र लगभग 30 वर्ष, ग्राम/ पोस्ट शिवाड़, तहसील छोठ का बाखड़ा, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान).

21. सपना प्रजापत पुत्री दुर्गा लाल कुम्हार, उम्र लगभग 34 वर्ष, सदर बाजार, सराधना, जिला अजमेर (राज.)।

22. शीला जांगिड़ पुत्री महावीर प्रसाद जांगिड़, उम्र लगभग 33 वर्ष, गोपालपुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर (राज.)।

23. मधु श्री नगर पुत्री प्रह्लाद नगर, उम्र लगभग 33 वर्ष, ग्राम/पोस्ट सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राजस्थान).

24. ममता लववंशी पुत्री तेजमल, उम्र लगभग 32 वर्ष, ग्राम गणेशपुरा, पोस्ट शॉर्टी, तहसील मनोहर थाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान).

25. बहादुर सिंह आंजना पुत्र मांगी लाल आंजना, उम्र लगभग 38 वर्ष, भीलो का मौहल्ला, अलावा, गणेशपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज.)।

26. सुरेंद्र कुमार खटीक पुत्र लादू लाल खटीक, उम्र लगभग 34 वर्ष, ग्राम/पोस्ट सादास, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान).

27. शर्मिला शर्मा पुत्री राजेश कुमार शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, वार्ड क्रमांक 10, जैन मंदिर के पास, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान).

28. ललित कुमार खटीक पुत्र सोभाग मल खटीक, उम्र लगभग 39 वर्ष, ग्राम/पोस्ट मांगरोल, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान).

29. सुरेश चन्द्र रेगर पुत्र कल्लू लाल रेगर, उम्र लगभग 35 वर्ष, रेगर मौहल्ला, चेची, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

30. आशा कँवर पँवार पुत्री जगदीश प्रसाद पँवार, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम/पोस्ट गुढा रामदास, बगड़वा, तहसील पीपलू, जिला टोंक (राज.)।

31. विक्रम सिंह मईड़ा पुत्र शम्भू लाल मईड़ा, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्राम/पोस्ट पिपलदा, पार्थीपुरा, तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)।

32. दीपिका वैष्णव पुत्री दशरथ कुमार वैष्णव, उम्र लगभग 23 वर्ष, ग्राम/पोस्ट मांडल, बड़ा मंदिर के पास, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

33. सुमित्रा वर्मा पुत्री चतुर्भुज वर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम/पोस्ट गढ़ रावला, मोटरास, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

34. विजयराज सेन पुत्र भंवर लाल सेन, उम्र लगभग 38 वर्ष, नवदुर्गा कॉलोनी, ग्राम सोगलपुर, जिला अजमेर (राज.)।

35. तेजमल जीनगर पुत्र हेमराज जीनगर, उम्र लगभग 31 वर्ष संग्राम गढ़, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

36. कमलेश सांवरिया पुत्र लक्ष्मी लाल सांवरिया, उम्र लगभग 36 वर्ष, ग्राम जीवर, सदर चौक, पोस्ट जगपुरा, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

37. शीवांगी कुमारी पुत्री मनमोहन, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्राम/पोस्ट गरमपुरा, लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी (राजस्थान).

38. रीना खारड़िया पुत्री बस्ती राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्राम/पोस्ट बांठड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर (राज.)

39. अनिता कुमारी पुत्री नानजी राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्राम/ पोस्ट गांग, जिला जालोर (राज.)।

40. राजेश गजन पुत्र जयंती लाल गजन, उम्र लगभग 34 वर्ष, ग्राम बड़गांव, पटवार गली, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर (राजस्थान).

41. शंकर लाल डामोर पुत्र मणि लाल डामोर, उम्र लगभग 38 वर्ष साल, ग्राम जीवर, तहसील गिरवा, जिला जालोर (राज.)।

42. अजीत मेघवाल पुत्र हीरा लाल मेघवाल, उम्र लगभग 31 वर्ष साल, ग्राम गुरेल, गुडाल, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर (राजस्थान).

43. लक्ष्मी लाल मेघवाल पुत्र अम्बा लाल मेघवाल, उम्र लगभग 35 वर्ष साल, ग्राम जोगीदासजी का गुड़ा, पोस्ट जेमली, तहसील सायरा, जिला उदयपुर (राज.)।

44. कपिल पंचोली पुत्र रमेश चन्द्र पंचोली, उम्र लगभग 27 वर्ष, ग्राम सेमारी, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

45. खुशबू मेघवाल पुत्री राम लाल मेघवाल, उम्र लगभग 30 साल, ग्राम जोगीदासजी का गुड़ा, पोस्ट जेमली, तहसील सायरा, जिला उदयपुर (राज.)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर

3. संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर।

4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोहागल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।

5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

7. डॉ. सर्वपाली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार, करवार, नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

8. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, भीलवाड़ा।

9. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, नागौर।

10. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, चित्तौड़गढ़।

11. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जालोर।

12. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, डूंगरपुर।

13. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, अलवर।

14. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, झालावाड़।

15. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।

16. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, टोंक।

17. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा।

18. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, बूंदी।

19. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, सवाईमाधोपुर.

20. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, प्रतापगढ़।

21. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर।

----प्रतिवादीगण

सह

<u>एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18539/2023</u>

1. वीरेन्द्र टाक पुत्र श्री सुरेश चंद, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम/पोस्ट मंगलाना, तहसील परबतसर, जिला नागौर (राजस्थान).

2. दीनदयाल पुत्र श्री दामोदर लाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम भेरवास, पोस्ट बाजवास, तहसील परबतसर, जिला नागौर (राज.)।

3. केशम कुमार वर्मा पुत्र श्री भोमा राम बुनकर, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी ग्राम ढोढ़सर, वाया गोविंदगढ़, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राजस्थान)।

4. अनिल शुक्ला पुत्र श्री कैलाश चंद, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी गांव/पोस्ट करना, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर (राज.)

5. रेखा वर्मा पत्नी श्री प्रभाती लाल बैरवा, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी गांव मोरोद कलां, पोस्ट नवलपुरा, तहसील रैनी, जिला अलवर (राज.)

6. आनंद लता सैनी पत्नी श्री लोकेश कुमार सैनी, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी गांव अजबपुरा, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर (राज.)

7. मनीषा यादव पत्नी श्री सुनील कुमार, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी गांव मोसमपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर (राज.)

8. उपेंद्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी गांव/पोस्ट मंधा, तहसील तिजारा, जिला अलवर (राज.)

9. प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री लहरी प्रसाद यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम/पोस्ट मजरा महानिया तहसील तिजारा, जिला अलवर (राज.)।

10. रवि कुमार गुरावा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गुरावा, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम गुड़लिया, वाया बधाल, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)।

11. विद्या भारती पुत्री श्री रामजीलाल बैरवा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम/ पोस्ट छान, तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर (राज.)।

12. प्रियंका कुमारी पुत्री श्री बजरंग लाल योगी, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम/पोस्ट खेजरोली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)।

13. अर्चना योगी पत्नी श्री राकेश कुमार योगी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम/ पोस्ट नाथूसर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज.)।

14. जागृति पत्नी श्री उदय सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम/पोस्ट बम्बोली, तहसील रामगढ, जिला अलवर का (राज.)

15. सुनीता जलदीप पुत्री श्री गोपाल लाल जलदीप, उम्र लगभग 30 साल, निवासी ग्राम/पोस्ट अजबपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज.)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर

3. संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर।

4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोहागल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।

5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

7. डॉ. सर्वपाली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार, करवार, नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

8. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोविंदगढ़, जिला जयपुर।

9. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नांगल, जिला सीकर।

10. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, नागौर।

11. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, अलवर।

12. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, सवाई माधोपुर.

13. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, सीकर।

----प्रतिवादीगण

<u>एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9316/2024</u>

1. मुकट सिंह पुत्र शिव चरण सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम/पोस्ट मोलोनी, तहसील वियर, जिला भरतपुर (राज.)।

2. रेखा देवी पुत्री समय सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, ग्राम गुर्जर बस्ती, पोस्ट सिंघरा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान).

3. सुरेश पुत्र करना राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, ढाढर वालो की ढाणी, ग्राम/पोस्ट दयासागर खारा, तहसील व जिला फलोदी (राज.)।

4. गीता पँवार पुत्री प्रेम रतन पँवार, उम्र लगभग 28 वर्ष वर्ष, 144, मलार, रिण रोड के पास, तहसील व जिला फलोदी (राज.)

5. निकिता सेन पुत्री महेश कुमार सेन, उम्र लगभग 30 वर्ष, कायस्थ मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस के पास, पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)।

6. मेकु देवी पुत्री छोटू राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, ग्राम कुटियासानी खुर्द, पो मांझी, तहसील डेगाना, जिला नागौर (राज.)

7. पुष्पा देवी पुत्री हरि सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, ग्राम हलेना, तहसील वैर, जिला भरतपुर (राज.)।

8. अंतिमा टेलर पुत्री नंद किशोर टेलर, उम्र लगभग 26 वर्ष, जैन मौहल्ला, हमीरपुर, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज.)।

9. मंजू कुमारी बलाई पुत्री किशन लाल बलाई, उम्र लगभग 37 वर्ष, गांव बालियों का मौहल्ला, मुंडोती, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर (राज.)।

10. रेखा राव पुत्री देवीलाल राव, उम्र लगभग 38 वर्ष, ग्राम/ पोस्ट अरजिया, सदर बाजार, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज.)।

11. लीला लक्षकार पुत्री जगन्नाथ लक्षकार, आयु लगभग 41 वर्ष, वीपीओ पारसोली, गणेश चौक, तहसील बेगुन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके मुख्य सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. प्रमुख सचिव, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर

3. संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर।

4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोहागल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।

5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर।

7. डॉ. सर्वपाली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार, कारवार, नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान) के माध्यम से।

8. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, भरतपुर।

9. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर।

10. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, पाली।

11. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, नागौर।

12. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, टोंक।

13. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर बी क्षेत्र।

14. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, भीलवाड़ा।

15. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, चित्तौड़गढ़।

----प्रतिवादीगण

<u>एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17208/2023</u>

1. अशोक कुमार पुत्र भोजा राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट महादेवपुरा, ग्राम पंचायत पोशाल, तहसील चोहटन, जिला बाड़मेर, राजस्थान। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हेजम का टाल, तहसील चोहटन, जिला बाड़मेर में तैनात।

2. पूनमा राम पुत्र श्री पत्ता राम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट गगरिया स्टेशन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र सज्जन का पार, बाड़मेर, जिला बाड़मेर में तैनात।

3. दशरथ चौधरी पुत्र श्री मूला राम चौधरी, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट ढाको का टाल, सरनो की नाडी, धनाऊ, जिला बाड़मेर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र दुधु, जिला बाड़मेर में तैनात हैं।

4. चम्पा राम पुत्र बीजला राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम शाहदाद का पार, तहसील गडरा रोड, जिला बाड़मेर। वर्तमान में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस में तैनात केन्द्र शाहदाद का पार, तहसील गडरा रोड, बाडमेर, जिला बाड़मेर।

5. असलम खान पुत्र अनवर खान, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी कस्बाथाना, मुस्लिम मोहला, छोटा बाजार, कस्बाथाना तहसील शाहाबाद, जिला बारां वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बामंगावा, जिला बारां

6. विमला पुत्री लाखा राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी भूंकरों की ढाणी, चक संतरा, जिला बाड़मेर वर्तमान में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोखासर, जिला बाड़मेर में तैनात

7. दीपा राम पुत्र हुकमा राम, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी गांव परेऊ, तहसील गिदा, जिला बाड़मेर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र सिमराखिया पुरोहितान, जिला बाड़मेर में तैनात।

8. विनोद कुमार पुत्र श्री आशा राम, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी मेघवालों का बास, मोरखा, पोस्ट मुंडारा, तहसील देसूरी, जिला पाली। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र चोड़ा, जिला पाली में तैनात।

9. चौधरी प्रेमिला पुत्री श्री दलपत कुमार, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ढाकों का तल्ला, सरणों की नाडी, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र दुधु, जिला बाड़मेर में तैनात।

10. अनीता चौधरी पत्नी श्री तेजा राम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी डेरामोनी, पोटालियों की ढाणी, बायतु, जिला बाड़मेर वर्तमान में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सिमरखिया खारा, जिला बाड़मेर में तैनात

11. पुखराज पुत्र पेमा राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी मेघवालों का बास, परेऊ, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर वर्तमान में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सिमरखिया खारा, जिला बाड़मेर में तैनात

12. लीलावती पुत्री श्री लाखा राम, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी गुजरो की ढाणी, बायतु चिमजी, जिला बाड़मेर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जसाई, जिला बाड़मेर में तैनात।

13. निरमा पत्नी श्री पूना राम, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी गांव निवाई, पचपदरा, जिला बाड़मेर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, उमरलाई, जिला बाड़मेर में तैनात।

14. अलकेश कुमार पुत्र श्री हिम्मत मल, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी सुथारों का बास, जोयाला, जिला सिरोही। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जोयाला, ब्लॉक शिवगंज, जिला सिरोही में तैनात।

15. सुमन नेहरा पुत्री श्री मंगला राम, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट खोरंडी, तहसील नावा, जिला नागौर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोरंडी, तहसील नावा, जिला नागौर में तैनात।

16. निरंजन कुमार परमार पुत्र श्री जोरा राम परमार, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी मेघवालों का बास, सलोदरिया, जिला पाली। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पालड़ी थाना सुमेरपुर, जिला पाली में तैनात।

17. नीलम गोस्वामी पुत्री श्री अमृत पुरी गोस्वामी, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी उषापुरी गेट, आऊंदर, सुमेरपुर, जिला पाली। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पालड़ी, सुमेरपुर, जिला पाली में तैनात।

18. रामचंद्र पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम सांवतगढ़, श्यामगढ़, तहसील नावा, जिला नागौर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र श्यामगढ़, जिला नागौर में तैनात हैं।

19. सुमन जाट पत्नी प्रेमचंद, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी जोशीपुरा, तहसील नावा, जिला नागौर वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, श्यामगढ़, जिला नागौर।

20. अनिता मीना पुत्री गणपति मीना, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम दर्रा, रोधई, जिला करौली वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, भांकरी जिला करौली।

21. विमला पुत्री मूला राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी गांव एवं पोस्ट जूनुंदरी, बाडमेर, जिला. बाड़मेर. वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, सिद्धसनवा, हरनियां, जिला बाड़मेर में पदस्थापित।

22. मधु कुमारी पत्नी हरचंद सिंह सैनी, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी गांव व पोस्ट सेमली, तहसील नगर, जिला भरतपुर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, सेमली, जिला भरतपुर में पदस्थापित।

23. सितारा बेगम पत्नी श्री आशिक हुसैन, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी बालाजी का गली, जमीतपुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जमीतपुरा, जिला बूंदी में पदस्थापित।

24. मैना बाई पुत्री श्री नंद किशोर, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी करवाला की झोपड़ी, बूंदी, जिला बूंदी। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जैस्थल, जिला बूंदी में तैनात हैं।

25. चित्रलेखा तिवारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी बस स्टैंड, भेरू जी बरदा, हिंडोली, जिला बूंदी। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, टोकरा, जिला बूंदी में तैनात हैं।

26. खुशबू गौड़ पत्नी श्री दीपक कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी चचोल्या तालाब, गेंडोली खुर्द, जिला बूंदी। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, गेंडोली खुर्द, जिला बूंदी में तैनात हैं।

27. लक्ष्मण कुमार मेघवाल पुत्र श्री नैना राम मेघवाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मेघवाल बास, टावरी, जिला सिरोही, वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र केंद्र, गोले, जिला सिरोही में तैनात

28. भरत कुमार मेघवाल पुत्र हंसा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष साल, निवासी ग्राम सिरोडी, जिला सिरोही वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, हाथल, तह रेवदर, जिला सिरोही।

29. लक्ष्मी कुमारी पत्नी मनीष कुमार, उम्र लगभग 30 वर्ष साल, निवासी मेघवाल, जूनी खराड़ी, वार्ड नंबर 06, आबू रोड, सिरोही, जिला सिरोही। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, किवरली, तेह आबूरोड, जिला सिरोही

30. राजेंद्र कुमार डांगी पुत्र हंसा राम डांगी, उम्र करीब 38 साल, निवासी दक्षिण मेघवाल, वार्ड नंबर 06, गलीक्रमांक 03, सिरोही, जिला सिरोही वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, मांकरोडा, जिला सिरोही में तैनात हैं

31. नरेश कुमार मीना पुत्र रामाराम मीना, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी पोसालिया, जिला सिरोही वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, कनाकोलर जिला सिरोही

32. पुष्पा कुमारी पुत्री समा राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी अखरिया वास, बड़गांव, जिला सिरोही वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, कनाकोलर, जिला सिरोही।

33. छोटू लाल पुत्र श्री गेना राम, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी मेघवाल वास, आई.टी.आई. रोड, संतपुर, आबू रोड, जिला सिरोही। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, संतपुर, जिला सिरोही में तैनात हैं।

34. शंकरलाल मेघवाल पुत्र मगन लाल मेघवाल, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी मेघवाल वास, ओरे जिला सरोही। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ओरे, आबू रोड, जिला सिरोही में तैनात हैं।

35. वाला राम पुत्र श्री उदा राम, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी गांव व पोस्त थोब, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर। वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, उमरालयी, जिला बाड़मेर में तैनात हैं।

36. प्रताप बाना पुत्र गोपाल कृष्ण बाना, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी कंकोलगढ़, खोखासर, गिड़ा, जिला बाड़मेर वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में तैनात, खोखासर, जिला बाड़मेर

37. नीरज देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम गाज़ीपुर, जिला वर्तमान में करौली आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, पहाड़ी, जिला करौली में तैनात हैं

38. मूली पुत्री श्री भोमा राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी गंगाणियों की ढाणी, कालेवा, जिला बाड़मेर वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, खनोदा, जिला बाड़मेर

39. लक्ष्मी शेखावत पत्नी श्री भीम सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी रेवाड़ा जेतमाल, जिला बाड़मेर वर्तमान समय में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, सिमरखिया पुरोहितान, जिला बाड़मेर

40. निर्मला मेहरा पत्नी श्री बृज राज मेहरा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 28, देवनारायण के मंदिर के पास, अतरालिया, कोटा जिला कोटा वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, हरिपुरा मांझी, जिला कोटा।

41. रहीना बानो पत्नी आरिफ हुसैन, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 179, सरन वाली गली, गेंटा, जिला कोटा वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, जेंटा, जिला कोटा

42. विष्णु कुमार पुत्र देवकी नंदन शर्मा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी तलेरा जिला बुंदी वर्तमान में आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, जमीतपुरा, जिला बुंदी में पदस्थ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने सचिव, आयुष विभाग (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक, यूनानी) राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, कार्मिक विभाग, अपने सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

3. आयुर्वेद विभाग के निदेशक, अशोक मार्ग, लोहागल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।

4. डॉ. सर्वपाली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार, करवड़ नागौर रोड, जोधपुर के माध्यम से।

----प्रतिवादी

<u>एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9283/2024</u>

1. किरण जाजड़ा पुत्री श्री अमरा राम जाजड़ा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम जाटो का बास, मथानिया, पोस्ट डोडियाना,तहसील रियाण बड़ी, जिला नागौर (राज.)।

2. प्रेम चंद जांगिड़ पुत्र श्री रगुनाथ राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, ग्राम धमनिया, पोस्ट बग्गड़, तहसील के निवासी रियां बड़ी, जिला नागौर (राज.)।

3. जसवन्त सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपुरोहित, उम्र लगभग 34 वर्ष, बिचला बास, वार्ड क्रमांक 10 निवासी श्री कोलायत, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर (राज.)।

4. लखन सोनी पुत्र श्री दिनेश सोनी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम/पोस्ट हनुमान गली, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ (राज.)।

5. बिसराम जाट पुत्र श्री रायमल जाट, उम्र लगभग 33 वर्ष, ग्राम गोठियाना, वाया अराई, तहसील अराई, जिला अजमेर (राजस्थान).

6. मुकेश वर्मा पुत्र श्री बाबूलाल वर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष साल, निवासी ग्राम बंधनाऊ, पोस्ट दिखनादा, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू (राज.)।

7. शारदा तलनिया पत्नी श्री इंद्राज माहिच, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम ढाणी राणासर, पो. पोजैतासर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू (राज.)।

8. सुनीता चूंडावत पत्नी श्री महिपाल सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम/ पोस्ट मांडा, वाया सोजत रोड,तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)।

9. ममता रानी पत्नी श्री नानू राम प्रजापत, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम उदासर, पोस्ट कल्याणपुरा, जिला चूरू (राजस्थान).

10. मंजू देवी पुत्री श्री श्योपत राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, वार्ड नंबर 13, तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

11. मोनिका मेहर पुत्री श्री सीताराम मेहर, उम्र लगभग 32 वर्ष, ग्राम/पोस्ट चांद-खेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)।

12. मिनाक्षी कुमारी पुत्री श्री उमा शंकर पांडे, वृद्ध लगभग उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम/पोस्ट बड़ बास, जालिया-2 एनडी, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर (राज.)।

13. संदीप मीना पुत्र श्री राम किशन मीना, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 65/66, पुलिस लाइन के पीछे, शिवनगर, भीलवाड़ा (राजस्थान).

14. मनोज सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह राठौड़, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम/ पोस्ट दम्बोई खुर्द, वाया गच्छीपुरा, तहसील मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन (राजस्थान).

15. जगदीश चन्द्र मीना पुत्र श्री मगना राम मीना, उम्र उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम/पोस्ट खेरुना, टीथोड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

16. सोनू कुमारी बलाई पुत्री श्री रमेश चन्द्र बलाई, पत्नी श्री विजय कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम/ पोस्ट बांकड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

17. मीनाक्षी बुनकर पुत्री श्री बंशीधर बुनकर, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम/ पोस्ट मोरीज़ा, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)।

18. सरजीत कुमार पुत्र श्री मेहर चंद, उम्र लगभग 40 वर्ष, वार्ड नंबर 9, ग्राम दौलतपुरा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

19. जय प्रकाश बुनकर पुत्र श्री गोपाल लाल बुनकर, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम हरदारामपुरा, पोस्ट खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राजस्थान)।

20. कमलेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम भाटीप, पोस्ट कोड़का, तहसील रानीवाड़ा, जिला जालोर (राज.)।

21. संजू कुमारी पत्नी श्री नाथू सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, गिलों का बास, ग्राम धनिया, भोरकी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग, सचिवालय, जयपुर
3. संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अशोक मार्ग, लोहागल रोड, सावित्री कॉलेज सर्किल, अजमेर।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष भवन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से, करवार, नागौर रोड, जोधपुर (राजस्थान)।

8. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, नागौर।

9. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, चूरू।

10. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, पाली।

11. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, हनुमानगढ़।

12. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, झालावाड़।

13. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर।

14. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेजरोली, जिला जयपुर- प्रथम।

15. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, झुंझुनू।

16. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।

17. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, डीडवाना- कुचामन

18. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, भीलवाड़ा।

19. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जालोर।

20. उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री यशपाल खिलेरी
		सुश्री विनीता
		श्री के.एल. चौहान
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एन.एस. राजपुरोहित, एएजी
		श्री शेर सिंह राजपुरोहित
		सुश्री अनिता राजपुरोहित
		श्री सुनील पुरोहित
		श्री जसराज सिंह के साथ

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

<u>आदेश</u>

<u>रिजर्व किया गया 20/09/2024</u>

<u>फैसला सुनाया गया 24/09/2024</u>

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

कोर्ट द्वारा :-

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ये रिट याचिकाएं याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी 25.04.2023 के आदेश के अनुसार आयुर्वेद कम्पाउंडर/नर्स की चल रही चयन प्रक्रिया में योग प्रशिक्षकों ("वाईआई") को निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र जारी न करने और बोनस अंक न देने के प्रतिवादियों की कार्रवाई से व्यथित हैं, जबकि उन्होंने कोविड-19 की अवधि के दौरान आयुर्वेद कम्पाउंडर/नर्स के समान ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था।

2. इन सभी मामलों में शामिल मुद्दा समान है, सभी पक्षों की सहमति से एक साथ सुनवाई की गई है और तत्काल सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया गया है। सुविधा के उद्देश्य से, इस आदेश में परिलक्षित तथ्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17062/2023 के होंगे।

3. मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताते हुए कहा जा सकता है कि कोविड-19 के समय में जब पूरा विश्व एक घातक महामारी से जूझ रहा था, ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो आगे आकर समाज के लिए योगदान दे सकें। उस समय सरकार ने राष्ट्रीय आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मिशन के तहत राजस्थान राज्य में स्थित 430 आयुर्वेद अस्पतालों में योग प्रशिक्षक के पदों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन करने का निर्णय लिया, जिन्हें आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में चुना गया था और तदनुसार प्रतिवादी निदेशक आयुर्वेद विभाग ने दिनांक 04.03.2021 को एक विज्ञापन जारी किया और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए और जिसके अनुसार प्रत्येक आयुर्वेद अस्पताल में एक महिला और एक पुरुष को नियुक्त किया जाना है (अनुलग्नक 1)। याचिकाकर्ताओं के पास आयुष नर्सिंग और फार्मेसी (डीएएन एंड पी) में डिप्लोमा के साथ-साथ राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल, जयपुर (अनुलग्नक 2) के साथ पंजीकरण की योग्यता है। याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश द्वारा योग प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त किया जा रहा था और याचिकाकर्ता संख्या 1 के नियुक्ति आदेश दिनांक 13.07.2021 की प्रति रिट याचिका के साथ संलग्न की गई है और तदनुसार उन्होंने 15.07.2021 को कार्यभार ग्रहण किया (अनुलग्नक 4)। इसी प्रकार, अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी कार्यभार ग्रहण किया और योग प्रशिक्षक के रूप में सेवा की और यह तथ्य विवादित नहीं है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति जुलाई, 2021 के महीने में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी और आज तक जारी है। महामारी अवधि यानी 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान

आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की सेवाएं दिनांक 07.04.2020 के आदेश (अनुलग्नक 7) द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सौंप दी गई थी। कोविड-19 के चरण 1 एवं चरण 2 में आयुर्वेद विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी भी संलग्न है (अनुलग्नक 8)। प्रतिवादी राज्य सरकार ने दिनांक 25.04.2023 के आदेश (अनुलग्नक 11) द्वारा महामारी के समय सेवा देने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की नियमित भर्ती प्रक्रिया में अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब प्रतिवादी आयुष विभाग राजस्थान ने दिनांक 03.10.2023 को विज्ञापन जारी कर कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं तथा उक्त पद के लिए न्यूनतम योग्यता आयुर्वेद नर्सिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या चार वर्षीय बी.एससी. तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद में पंजीकृत विश्वविद्यालय से इंटर्नशिप है (अनुलग्नक 13)। चयन प्रक्रिया के मापदंड, बोनस अंक प्रदान करना, आरक्षण एवं छूट सभी विज्ञापन में दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कोविड-19 के दौरान ड्यूटी की और अभी भी प्रतिवादी विभाग में संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं, लेकिन 25.04.2023 (अनुलग्नक 11) के आदेश के अनुसार कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया है और इसलिए तत्काल रिट याचिका दायर करके इसे चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने तथा याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक प्रदान करने में प्रतिवादी प्राधिकारी की कार्रवाई भेदभावपूर्ण, मनमानी, अनुचित तथा अवैध है। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को दिनांक 13.07.2021 (अनुलग्नक 3) के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है तथा 15.07.2021 (अनुलग्नक 4) को उन्होंने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के पास आयुष- नर्सिंग एवं फार्मेसी में डिप्लोमा की योग्यता है तथा साथ ही राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में पंजीकरण है तथा वे कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के साथ-साथ योग प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र हैं। आगे तर्क दिया गया कि आयुष नर्सिंग और फार्मेसी में डिप्लोमा का उद्देश्य नर्स सह फार्मासिस्ट को एक अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम के साथ तैयार करना और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के बारे में सिखाना है ताकि वे बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारों के पुनर्वास में स्वास्थ्य टीम के एक कुशल सदस्य के रूप में मदद कर सकें। कोविड-19 के समय में, जब हर कोई अपने सुरक्षित वातावरण में बैठा था, राज्य ने कोविड-19 से संबंधित कार्यों को करने के

लिए चिकित्सा विभाग के साथ-साथ आयुर्वेद विभाग के तहत संविदा/तदर्थ/अस्थायी आधार पर लोगों को नियुक्त करने की मांग की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार ने कोविड अवधि के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमित भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों को बोनस अंक देने का अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने भी कोविड के दौरान चिकित्सा विभाग द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन किया और कोविड अवधि के दौरान उन्हें निर्देशित सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन फिर भी उन्हें बोनस अंक प्रदान नहीं करना भेदभावपूर्ण प्रकृति का है। संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना था, लेकिन मनमाने तरीके से इसे जारी नहीं किया गया। प्रतिवादी की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 और 300-ए के प्रावधानों का उल्लंघन है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा राहुल सिंह चौहान बनाम राजस्थान राज्य [एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7868/2023] में पारित आदेश प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय से प्रार्थना की कि प्रतिवादी उप निदेशक को याचिकाकर्ताओं को कोविड-19 के दौरान उनके कार्य करने की अवधि के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए और उनके अनुभव प्रमाण पत्रों के संबंध में बोनस अंक देने का निर्देश दिया जाए।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 04.03.2021 के विज्ञापन में दिए गए योग प्रशिक्षकों के पद पर नियुक्ति आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत योग प्रशिक्षकों के लिए अंशकालिक पद का प्रावधान करती है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की योग प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के दिनांक 13.07.2021 के आदेश में कहा गया है कि यह प्रति घंटा के आधार पर है और पारिश्रमिक भी अधिकतम 5000/- रुपये प्रति माह निर्धारित है और प्रति घंटे मानदेय 250/- रुपये से अधिकतम 20 घंटे निर्धारित है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि योग प्रशिक्षकों का कर्तव्य एक घंटे के लिए योग कक्षाएं संचालित करना था और महीने में 20 घंटे का यह काम, काम की प्रकृति और किए गए काम को देखते हुए कंपाउंडर और नर्स की 8 से 12 घंटे की दैनिक ड्यूटी के बराबर नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार ने दिनांक 25.10.2023 के पत्र (अनुलग्नक आर/1) के माध्यम से एक अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि योग प्रशिक्षकों का कार्य आयुर्वेद नर्स/कंपाउंडर के कार्य और जिम्मेदारियों के समान नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आयुर्वेद विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलग-अलग हैं और उन्हें एक नहीं

माना जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि योग प्रशिक्षकों को बोनस अंक प्रदान करने की बात आने पर योग प्रशिक्षकों और नर्स/कंपाउंडर के कार्य को समान स्थिति में नहीं रखा जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय की खंडपीठ के साथ-साथ समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः दिए गए निम्नलिखित निर्णयों को रिकॉर्ड पर रखा है: -

I. सत्य देव भगौर बनाम राजस्थान राज्य (2022) 5 एससीसी 134।

II. राम सिंह बनाम राज्य: डी.बी. विशेष अपील रिट सं.963/2022 और राम सिंह बनाम राज्य: एसबीसीडब्ल्यूपी सं.8162/2022।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान वकील को सुना गया और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।

7. निस्संदेह, याचिकाकर्ताओं को योग प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने समय-समय पर जारी अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान भी अपने कर्तव्यों का पालन किया और इसलिए वे प्रासंगिक समय पर योग प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार हैं और शायद उसी को देखते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिनांक 01.11.2023 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है ताकि वे आवेदन पत्र भरने की औपचारिकताएं पूरी कर सकें। इस मामले में समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 01.11.2023 के आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

> "1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता, जिन्हें 'योग-प्रशिक्षक' के रूप में नियुक्त किया गया था, वे दो वर्षों से अधिक समय से 'आयुर्वेद कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड' के समान ही कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आयुर्वेद कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के पद के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 05.11.2023 है और यदि प्रतिवादी अपेक्षित अनुभव प्रमाण-पत्र जारी नहीं करते हैं, तो याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे।
>
> 2. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रतिवादियों की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और मामले में अपने निर्देश पूरे करने के लिए समय मांगते हैं।

3. मांगी गई समयावधि मंजूर की जाती है। याचिका को 28.11.2023 कोसूचीबद्ध करें ।

4. इस बीच, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे योग प्रशिक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें, जिस पद पर याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, अधिमानतः 03.11.2023 से पहले। न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के तहत प्रमाण पत्र जारी करने से प्रतिवादियों को बोनस अंक देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि याचिकाकर्ता इसके लिए पात्र न हों। पूरी प्रक्रिया वर्तमान याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगी।"

दिनांक 01.11.2023 के आदेश से यह स्पष्ट है कि मामले के तथ्य और बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, एक अंतरिम उपाय के रूप में इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को योग प्रशिक्षक के पद पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पारित करना उचित समझा, जिस पद पर उन्होंने प्रतिवादी विभाग के निर्देशों के तहत अपने कर्तव्यों का पालन किया था। यह विवाद के अधीन नहीं है कि दिनांक 01.11.2023 के आदेश के अनुसरण में, प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, इस प्रकार, रिट याचिका का एक हिस्सा और अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रार्थना अब जीवित नहीं है और इसलिए यह न्यायालय समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 01.11.2023 के आदेश को निरपेक्ष बनाना उचित समझता है। रिट याचिकाओं को उस सीमा तक अनुमति दी जाती है, जहां तक वह प्रासंगिक समय के दौरान योग प्रशिक्षक के पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्रार्थना से संबंधित है।

8. अब मामले के दूसरे पहलू पर आते हैं कि क्या प्रतिवादी प्राधिकारी को दिनांक 25.04.2023 के आदेश (रिट याचिका संख्या 17062/2023 के अनुलग्नक 11) की प्रयोज्यता के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं, ताकि 03.10.2023 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में उन्हें बोनस अंक दिए जा सकें, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है। सर्वप्रथम यह बताना समीचीन होगा कि आयुष विभाग (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी) राजस्थान, जयपुर द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी विभागों में कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड की भर्ती हेतु दिनांक 03.10.2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन राजस्थान

आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (इसके पश्चात नियम 1966 के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत जारी किया गया है। भर्ती प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, चयन पद्धति, बोनस अंक आदि का ध्यान उपरोक्त नियम 1966 के अंतर्गत रखा जाना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप 3) द्वारा दिनांक 25.04.2023 (अनुलग्नक 11) का आदेश जारी किया गया तथा इसे राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 (जिसे आगे नियम 1965 कहा जाएगा) की सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू करने के लिए जारी किया गया ताकि अभ्यर्थियों/आकांक्षियों को बोनस अंक प्रदान करके लाभ दिया जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 25.04.2023 का आदेश केवल राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित है तथा यह आदेश राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अन्य भर्ती प्रक्रिया पर किस प्रकार लागू होगा, यह समझ से परे है। आयुर्वेद अधीनस्थ सेवाओं से सम्बन्धित 1966 के नियमों में न तो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 1965 के नियमों की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में कोई प्रावधान है और न ही 1965 के नियमों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में कोई प्रावधान है, जिससे आयुर्वेद अधीनस्थ सेवाओं की सेवाओं पर इसकी प्रयोज्यता हो। दोनों विभाग अलग-अलग हैं और उनकी सेवा नियमावली भी अलग-अलग है, यहां तक कि दोनों विभागों के सचिव और निदेशक भी अलग-अलग हैं और दोनों की विशेषताएं और कार्य पद्धति भी अलग-अलग है, तो फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश आयुर्वेद विभाग की भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों पर कैसे लागू हो सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय को यह समझाने में या कोई कानूनी प्रावधान दिखाने में पूरी तरह विफल रहे हैं, जिसका सहारा लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 25.04.2023 के आदेश का सहारा लेकर आयुष विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत उन्हें बोनस अंक प्रदान किए जा सकें, जो 1966 के नियमों के तहत शासित हो। हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने 22.03.2020 से 13.02.2022 के बीच की अवधि के दौरान काम किया हो, उन्होंने आयुष विभाग के निर्देशों के तहत योग प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं उत्साहपूर्वक दी हों, लेकिन वे राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 19 के तहत पारित दिनांक 25.04.2023 के आदेश द्वारा प्रदान किए गए बोनस अंकों का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। अधीनस्थ सेवा नियम दो अलग-अलग हैं; एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

विभाग के लिए तथा एक आयुष विभाग के लिए तथा इस न्यायालय की सुविचारित राय में किसी अन्य विभाग द्वारा किसी भिन्न नियम के तहत जारी किया गया कोई भी आदेश याचिकाकर्ताओं को लाभ नहीं पहुंचा सकता। यदि ऐसा होता कि आयुष विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2023 के आदेश के समान कोई आदेश जारी किया जाता तो याचिकाकर्ताओं का दावा वैध माना जाता, लेकिन आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के तहत आयुष विभाग द्वारा कोई आदेश जारी न किए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

9. यह बारीकी से देखने के बाद कि आयुष विभाग द्वारा बोनस अंक देने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जैसा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2023 को जारी किया गया है, अब यह न्यायालय भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने के संबंध में नियम 1966 के प्रावधानों की जांच कर रहा है। नियम 1966 के नियम 19 के अन्तर्गत स्पष्ट प्रावधान है तथा सुविधा हेतु उसे निम्नांकित किया जा रहा है:-

> "आवेदनों की संवीक्षा- नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा तथा इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए योग्य उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, जितने उसे वांछनीय प्रतीत हों:
>
> परन्तु नर्स कम्पाउन्डर जूनियर ग्रेड के पद पर नियुक्ति के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट बोनस अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, जिसमें सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अथवा राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा संचालित किसी आयुष परियोजना के अन्तर्गत समान कार्य के अनुभव की अवधि को ध्यान में रखा जाएगा, जैसा भी मामला हो। परन्तु यह भी कि नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस अंकों के आधार पर ही मान्य होगा। किसी उम्मीदवार की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।"

उपरोक्त नियम के अवलोकन से यह पता चलता है कि अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान करने का भी प्रावधान है, जिसके लिए राज्य सरकार को इस संबंध में

आदेश पारित करके निर्दिष्ट करना होगा और जो सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर या राजस्थान राज्य में किसी आयुष परियोजना के अंतर्गत समान कार्य पर अभ्यर्थियों के अनुभव की अवधि से संबंधित होगा। इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि जब भी राज्य सरकार आयुष अधीनस्थ सेवा नियमावली 1966 के नियम 19 के अनुसार अपेक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने का तरीका निर्दिष्ट करेगी, तो योग्य अभ्यर्थी उनका लाभ पाने के हकदार होंगे, लेकिन वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1965 के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसरण में कोई लाभ पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि दोनों अलग-अलग विभाग हैं और उनके अलग/विशिष्ट शासी नियम हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, यह माना जाता है कि आयुष विभाग द्वारा दिनांक 3.10.2023 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.04.2023 की कोई प्रयोज्यता नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दावा की गई राहत स्वीकार नहीं की जा सकती है। नियम 1966 के नियम 19 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोनस अंक "समान कार्य" पर अनुभव की अवधि के आधार पर दिए जाने चाहिए। उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि योग प्रशिक्षकों का कार्य नर्स/कंपाउंडर के समान तब तक नहीं माना जा सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि उन्होंने समकक्ष पद पर काम किया है और नर्स/कंपाउंडर के समान ही काम किया है।

10. चूंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कोविड अवधि के दौरान योग प्रशिक्षक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य और दी गई सेवाएं कंपाउंडर/नर्स के समान ही हैं और इसलिए कार्य की समानता और प्रकृति के आधार पर उन्हें भी नियम 19 के अनुसार समान बोनस अंक दिए जाने चाहिए, इसलिए उपरोक्त दलील के संबंध में यहां चर्चा की जा रही है।

11. आयुर्वेद और योग एक दूसरे के पूरक हैं लेकिन एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते क्योंकि दोनों की अपनी जड़ें और उद्गम हैं जिनसे वे उभरे हैं। हालाँकि ये दोनों एक ही लक्ष्य की ओर काम करते हैं जो मनुष्य के शरीर को शुद्ध करने से संबंधित है लेकिन जिस तरह से ये काम करते हैं वो एक दूसरे से बिलकुल अलग है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के दो शब्दों "आयुर्" से बना है जिसका अर्थ है जीवन और "वेद" का अर्थ है ज्ञान और जब ये एक साथ आते हैं तो इसे "जीवन का विज्ञान" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह चिकित्सा की एक

पारंपरिक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। शरीर के बारे में ज्ञान "चरक संहिता" और "सुश्रुत संहिता" से पता लगाया जा सकता है जो शरीर की परस्पर संबंधित प्रणालियों और मानव संविधान में विविधताओं का वर्णन करता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद की शुरुआत जड़ी-बूटियों के ज्ञान से हुई थी जिसने शरीर के विभिन्न अंगों की बीमारी का समाधान दिया है और इसमें विभिन्न प्रकार के लवण शामिल हैं जो पूरे शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं; फिर "लेप" (लेप) जिसे शरीर के अंगों पर लगाया जा सकता है और बीमारियों को ठीक करने के लिए एक ही समय में सेवन किया जा सकता है। समय के साथ, आयुर्वेद विकसित हुआ है और जड़ी-बूटियों के संयोजन से दवा बनाने और उन्हें मोर्टार में पीसने से लेकर आधुनिक तंत्र तक आगे बढ़ा है जिसमें सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, चटनी, इंजेक्शन के रूप में दवाएं शामिल हैं जिन्हें सीधे शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है और अंतःशिरा जलसेक के माध्यम से भी शरीर में डाला जा सकता है। सिद्ध, यूनानी और तिब्बी की प्रणाली का इस्तेमाल आयुर्वेद के डॉक्टरों द्वारा सबसे अधिक किया जाता है और वे केवल यह जानते हैं कि किसी विशिष्ट बीमारी या रोग के लिए कौन से लवण, जड़ी-बूटियाँ और अर्क का उपयोग किया जाना चाहिए; आयुर्वेद के तहत काम करने वाले कंपाउंडर और नर्स को अपने अनुभव के कारण इन चीजों का सरसरी ज्ञान होता है। जब योग की बात आती है, तो यह एक शब्द "युज" से लिया गया है जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। वेदों में योग को चार अवस्थाओं वाली प्रक्रिया के रूप में बताया गया है, जिसमें भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग और ज्ञान योग शामिल हैं, जो आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ा हुआ है और आत्मा, मन और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य बनाता है, जिससे व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। इसमें शारीरिक कार्य शामिल है जो व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है। ये दोनों प्रकृति में भिन्न हैं क्योंकि आयुर्वेद ने खुद को पारंपरिक चिकित्सा से आधुनिक विज्ञान में विकसित किया है जबकि योग एक शारीरिक गतिविधि है जो मन और शरीर के बीच एक सुसंगत तरीके से बंधन सुनिश्चित करती है। योग क्रियाओं को करते समय, कुछ भी निगलना, पीना, सेवन करना या शरीर पर लगाना नहीं माना जाता है, जबकि उपरोक्त सभी आयुर्वेद सिद्धांत के आवश्यक सहवर्ती हैं।

12. अभिलेखों का अवलोकन करने तथा इस न्यायालय को उपलब्ध कराए गए प्रस्तुतीकरणों एवं सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात यह पता चला है कि याचिकाकर्ताओं के पास आयुष नर्सिंग एवं फार्मेसी (डीएएन एवं पी) में डिप्लोमा की योग्यता है, साथ ही राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में पंजीकरण (अनुलग्नक 2) तथा इंटर्नशिप प्रमाण-पत्र भी हैं, जो उन्हें फॉर्म भरने के लिए

शैक्षणिक रूप से योग्य बनाता है। एक क्षण के लिए यह मान लें कि याचिकाकर्ता भी कोविड अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवाओं के संबंध में बोनस अंक पाने के हकदार हैं, फिर भी उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं चिकित्सा सेवाओं के समान थीं, इसलिए उन्हें भी 25.04.2023 के आदेश में उल्लिखित बोनस अंक दिए जाने चाहिए। क्या किसी विशेष अवधि के दौरान नौकरी पर बने रहना और सेवाएं प्रदान करना पर्याप्त है या क्या याचिकाकर्ताओं को यह तथ्य स्थापित करने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा की गई सेवाएं समान हैं, यह तथ्य का विवादित प्रश्न नहीं है क्योंकि 25.04.2023 के आदेश के एक साधारण अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल उम्मीदवार की सेवा अवधि बल्कि कार्य की प्रकृति भी समान होनी चाहिए। तत्काल संदर्भ के लिए 25.04.2023 के आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत, कोविड अवधि दिनांक 22.3.2020 से 13.2.2022 के दौरान विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं में कार्यरत रहे कार्मिकों को विशेष परिस्थिति में कार्य करने को दृष्टिगत रखते हुए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23.05.2022 के अनुरूप समरूप कार्य के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले संविदा/तदर्थ/आवश्यक अस्थाई आधार पर आर.एम.आर.एस./प्लेसमेंट एजेन्सी/एन.जी.ओ./पी.पी.पी./108/एम.एम.यू./एम.एम.वी. के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को वर्ष 2023–24 (मार्च. 2024) तक की जाने वाली भर्तियों में वर्णित तालिका के अनुसार संशोधित बोनस अंक देय होंगे:–

1) ऐसे कार्मिक जो कि कोविड अवधि से पूर्व से नियुक्त थे तथा जिनके द्वारा कोविड–19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान भी संविदा/तदर्थ आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्य किया गया है तथा वर्तमान में निरन्तर कार्यरत है अथवा नहीं है, एवं 2) ऐसे कार्मिक जो कोविड–19 के दौरान 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान संविदा/तदर्थ आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त हुए है तथा वर्तमान में निरन्तर कार्यरत है अथवा नहीं है को वर्ष 2023 से 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों हेतु

संविदा/आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्य अवधि	बोनस अंक
1. दो वर्ष से कम	15
2. दो वर्ष या इससे अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम	20
3. तीन वर्ष या इससे अधिक	30

शेष समस्त कार्मिक जो कोविड अवधि के दौरान कार्यरत नहीं रहे है अर्थात दिनांक 21.3.2020 तक ही कार्यरत रहे है अथवा दिनांक 13.2.2022 के पश्चात नियुक्त किये गये है, को आदेश क्रमांक 1138 दिनांक 15.11.2022 के अनुसार 10, 20 एवं 30 बोनस अंक देय होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र बंसल)

संयुक्त शासन सचिव"

13. दिनांक 25.04.2023 के आदेश में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अवलोकन

विभिन्न चिकित्सकीय सेवाओं में कार्यरत रहे कार्मिको को विशेष परिस्थिति में कार्य करने को दृष्टिगत

रखते हुए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23.05.2022 के अनुरूप समरूप कार्य के आधार पर कोविड काल में कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के बारे में बात करता है। शब्द "समरूप कार्य" अपने आप में यह बताता है कि कार्य की प्रकृति आयुर्वेद नर्स/कंपाउंडर के कार्य के समान/समान/समतुल्य/सम्बन्धित होनी चाहिए।

14. पक्षकारों द्वारा न्यायालय को उपलब्ध कराई गई सामग्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिदिन प्रातः 1 घंटा आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में योग सत्र आयोजित करना तथा प्रतिमाह 2 घंटे अभियान, शिविर आयोजित करना था। इसके अतिरिक्त वे चिकित्सा सेवाओं की रिपोर्टिंग एवं निगरानी तथा कम्पाउंडरों को उनके कार्य में सहायता प्रदान करने में भी संलग्न थे। नर्स/कम्पाउंडर का कार्य औषधियों को व्यवस्थित रखना, उपकरण साफ रखना तथा चिकित्सकों द्वारा निर्धारित औषधियों की सूची तैयार करना, चिकित्सकों के निर्देशानुसार एनिमा लगाना, घाव का उपचार करना, औषधि भण्डारण हेतु प्राप्त औषधियों का पूर्ण रिकार्ड रखना तथा चिकित्सकों को ऑपरेशन में सहायता प्रदान करना है। आपातकालीन परिस्थितियों में किसी रोगी के उपचार के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें कभी भी बुलाया जा सकता है। अस्पताल के नर्स/कंपाउंडर से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें दवाइयों में लवणों की संरचना/नमक की मात्रा के बारे में कुछ जानकारी हो या कम से कम उस दवा/औषधि का नाम जो रोगी को दी जानी है। डॉक्टर की अनुपस्थिति में, रोगियों को दी गई निर्देशिका के अनुसार औषधालयों में उपलब्ध सामान्य दवाओं से प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए और क्षार सूत्र चिकित्सा और पंचकर्म की विभिन्न प्रक्रियाएं करनी चाहिए। नर्स/कंपाउंडर का यह काम योग प्रशिक्षकों के काम से "इजुस्डेम जेनेरिस" नहीं है। अकादमिक रूप से एक परीक्षा उत्तीर्ण करने, डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने और व्यावहारिक रूप से क्षेत्र में एक विशेष कार्य करने के बीच अंतर है और दोनों को समान नहीं माना जा सकता है।

15. आयुर्वेद विभाग निदेशालय, राजस्थान, अजमेर के अनुसार, उन्होंने योग प्रशिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिनांक 25.10.23 को कार्यालय आदेश जारी किया है। त्वरित संदर्भ के लिए दिनांक 25.10.2023 का कार्यालय आदेश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान–अजमेर

क्रमांकःप01/प्रति–3/न0क0/रिक्त पद/स्वीकृति/2022/13794–95 दिनांक 25/10/23

समस्त उपनिदेशक,
आयुर्वेद विभाग,

राजस्थान।

विषय–योग प्रशिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के ध्यान में आया है कि कतिपय उपनिदेशकों / आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों द्वारा योग प्रशिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र बनाये जा रहे हैं, जोकि राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के नियम–19 में वर्णित प्रावधानुसार नहीं है।

राजस्थन आयुर्वेद सेवा नियम–1966 के नियम–19 के प्रावधानुसार विज्ञापित पदों के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष, एन.एच.एम. डॉ. सर्वपल्ली राध ाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर या सराकर द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के अन्तर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य (similar work) पर कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव प्राप्त अभ्यर्थीयों को बोनस अंक देय है। जबकि योग प्रशिक्षक पुरूष/महिला की नियुक्ति पूर्णतया पार्ट टाइम, मानदेय एवं स्वैच्छिक सेवा प्रकृति की है, जो केवल मात्र एक घण्टे योगा अभ्यास कराने हेतु नियुक्त है, उक्त योग प्रशिक्षक का कार्य विभाग में नियुक्त नर्स/कम्पा0 के कार्य के समान कार्य नहीं है।

अतः समस्त उपनिदेशकों को निर्देशित किया जाता है राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम–1968 के नियम–19 प्रावधानुसार एवं विज्ञापन के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से पूर्ण परीक्षण उपरान्त नियमानुसार जारी किये जावे, अगर किसी अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध जाकर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ0 आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि–समस्त अतिरिक्त निदेशक संभाग राजस्थान को देकर लेख है कि उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावे।

निदेशक"

उपरोक्त कार्यालय आदेश से स्पष्ट है कि बोनस अंक उन अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे, जिनके पास राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अथवा राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा संचालित किसी आयुष परियोजना के अंतर्गत विज्ञापित पद के समान कार्य करने की अवधि के आधार पर अनुभव है। उपरोक्त आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि योग प्रशिक्षक का कार्य पूर्णतः अंशकालिक एवं स्वैच्छिक सेवा प्रकृति का है, जिनकी नियुक्ति केवल एक घंटे के लिए योगाभ्यास कराने के लिए की जाती है, जो नर्स/कंपाउंडर के कार्य के समान नहीं है।

16. निस्संदेह, याचिकाकर्ताओं ने कोविड काल में योग प्रशिक्षक के रूप में काम किया है, लेकिन जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं वह नर्स और कम्पाउंडर का है, जिसके लिए उन्हें समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता और इसलिए उन्हें बोनस अंक नहीं दिए जा सकते, खासकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.04.2023 के आलोक में। याचिकाकर्ता अपनी सेवा अवधि के दौरान बोनस अंक की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिनांक 25.04.2023 का आदेश आयुर्वेद विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया था, बल्कि यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया था और इसलिए यह याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है और केवल उन उम्मीदवारों के लिए लागू होगा जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

विभाग के तहत भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। मामले का फैसला करते समय नौकरी की प्रकृति को भी ध्यान में रखा गया है। कार्यालय आदेश और नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारी द्वारा किए गए "समान कार्य" को बोनस अंक मिलेंगे। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को योग प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके काम को आयुर्वेद नर्स/कंपाउंडर के समान नहीं माना जा सकता है और इसलिए वे अपने दावे के अनुसार बोनस अंक पाने के हकदार नहीं हैं।

17. ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिकाओं का निपटारा निम्नलिखित शर्तों के तहत किया जाता है:-

अ) याचिकाकर्ता प्रासंगिक अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार हैं, लेकिन केवल योग प्रशिक्षक के पद पर अनुभव के लिए। वे इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए जब भी आवश्यक हो कर सकेंगे। चूंकि अनुभव प्रमाण पत्र इस न्यायालय के निर्देश के तहत विभाग द्वारा जारी किया गया है, इसलिए इस संबंध में कोई और आदेश पारित नहीं किया जाना है। यदि इस न्यायालय के आदेश के बावजूद किसी भी अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, तो उसे तत्काल जारी किया जाए। इसके द्वारा दिनांक 01.11.2023 का अंतरिम आदेश निरर्थक किया जाता है।

ब) याचिकाकर्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 25.04.2023 के आदेश के अनुसार बोनस अंकों का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू नहीं है।

स) योग प्रशिक्षकों के कार्य की प्रकृति एवं प्रकार आयुर्वेद नर्स/कंपाउंडर के कार्य से भिन्न है, अतः याचिकाकर्ता आयुर्वेद नर्स/कंपाउंडर के पद के समान योग प्रशिक्षक के रूप में अपने कार्य अनुभव का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

द) यदि राज्य सरकार राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के नियम 19 के अंतर्गत कोई बोनस अंक निर्दिष्ट करती है, तो आदेश की प्रयोज्यता एवं अभ्यर्थियों द्वारा किए गए कार्य के अनुसार अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे।

18. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

19. सभी रिट याचिकाओं एवं स्थगन याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(फरजंद अली),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।